



दुर्लभ झक सफेद एल्बीनो पाण्डा एक बार फिर चीन में दिखा है। यह अपनी तरह का एक मात्र पांडा है। वर्ष 2019 में यह शिन्चुआन प्रांत के नेचर रिजर्व में देखा गया था और विश्व में अपनी तरह का एकमात्र पाण्डा होने की वजह से जल्दी ही इसकी लोकप्रियता विश्वभर में फैल गई थी। हाल ही में यह पुनः दिखा है। माना जाता है कि, इसकी उम्र 5-6 साल है। देखने में स्वस्थ लग रहे इस पाण्डा का फर अब हल्का सा भूरा होने लगा है और कार्टून किरदार "विनी द पूह" की याद दिलाता है। शुरु में आशंका थी कि, इस प्रजाति के अन्य सदस्य इसको बहिष्कृत कर सकते हैं, पर, वोलॉग नेचर रिजर्व से प्राप्त तस्वीरों और वीडियो में यह अन्य सामान्य पाण्डा के साथ सहजता से घुलता-मिलता नजर आ रहा है। जानवरों में एल्बीनिज्म पाया जाता है, पर बहुत कम। यह एक जैनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, इसमें त्वचा में मेलनिन नहीं बनता। ऐसे जीव प्रकाश के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, लेकिन अन्य शारीरिक क्षमताओं पर इस स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्ष 2019 में जब यह पाण्डा पहली बार दिखा था, तब नेचर रिजर्व ने कहा था कि, तस्वीरों में इसके रोएं, पंजे एकदम सफेद दिख रहे हैं और आँखें लाल हैं।

फ्लाइंट में दुर्व्यवहार

नई दिल्ली, 15 जुलाई। एयर इंडिया मैनेजमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ यात्री द्वारा दुर्व्यवहार की बात सामने आई है। यह घटना नौ जुलाई को सिडनी से नई दिल्ली लौट रहे विमान में हुई। एक अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन के इनफ्लाइट सर्विसेज डिपार्टमेंट के हेड संदीप वर्मा ए.आई. 301 से सिडनी से दिल्ली आ रहे थे, तभी दिल्ली के एक यात्री ने उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दुष्कर्म व हत्या के आरोपी किशोर को आजीवन कारावास

जयपुर, 15 जुलाई (का.सं.)। पाँचों मामलों की विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में 17 साल 7 माह और 25 दिन के किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने किशोर पर 63 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि, किशोर को 21 साल की उम्र तक सुरक्षित गृह में रखा जाए और फिर शेष सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया जाए। बताया जा रहा है कि, यह प्रदेश का संभवतः पहला ऐसा मामला है, जहाँ 18 साल से कम के किशोर को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने कहा कि, किशोर न्याय अधिनियम में प्रावधान है कि, किसी बालक को मृत्युदंड या छोड़े जाने की संभावना के बगैरे आजीवन कारावास से

यह संभवतया पहला ऐसा केस है जिसमें किसी किशोर को आजीवन कारावास की सजा मिली है। किशोर पर 9 साल की बालिका से दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है।

दंडित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में हर आजीवन कारावास को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पाँचों केसों में दुष्कर्म के कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास की प्रावधान किया गया है। बशर्ते कि उसमें सी.आर.पी.सी. की धारा 432 व धारा 433 के तहत रैमिशन या सजा लघुकरण करने की शक्ति राज्य सरकार के पास हो। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर किशानावत ने अदालत को बताया कि, नौ साल की पीड़िता अपने परिवार के साथ किशोर के मकान में किराए पर रहती थी। घटना के दिन, 4 जून, 2022 को सुबह 11 बजे बच्ची अपने पिता के पास बैठी थी। इतने में किशोर भी वहाँ आ गया और आधे घंटे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने एक बार फिर प्र.मंत्री मोदी की चुप्पी पर कटाक्ष किया

‘मणिपुर जल रहा है, तथा यूरोपीय संसद आंतरिक मामले पर प्रस्ताव पारित करती है, पर, दोनों मुद्दों पर प्र.मंत्री की रहस्यमय चुप्पी क्यों?’

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जुलाई। यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा और मोदी सरकार को आलोचना किए जाने के मामले में राहुल गांधी के ट्वीट से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने आज केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उनके सामने उतारा, जिन्होंने उन्हें “कुंठित राजवंशज” कहा।

राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि राफेल सौदे ने उन्हें बैस्टिल डे परेड का टिकट दिलवा दिया, जबकि यूरोपीय संसद में चर्चा होने के बावजूद वे मणिपुर पर चुप रहे। राहुल ने ट्वीट कर कहा, “मणिपुर जल रहा है। यूरोपीय संसद भारत के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री ने किसी पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल सौदे ने उन्हें बैस्टिल डे परेड का टिकट दिलवा

- तिलमिलाकर, भाजपा ने स्मृति ईरानी और प्रवक्ता गौरव भाटिया को उतारा राहुल गांधी को घेरने के लिये।
- कांग्रेस भी चुप नहीं रही, जयराम रमेश व वेणुगोपाल को झोंका, स्मृति ईरानी व गौरव भाटिया की टिप्पणियों को खारिज करने के लिए।

दिया। इससे पहले यूरोपीय संसद ने बुधवार को मणिपुर हिंसा पर एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम कड़े शब्दों में भाजपा सदस्यों द्वारा फैलाई गई राष्ट्रवाद की नारेबाजी का विरोध करते हैं। इस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी कि यह पूरी तरह से आंतरिक मामला है। काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार के जन संपर्क एवं मीडिया रणनीतिकारों ने स्मृति ईरानी को आगे

राहुल ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जुलाई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में आज एक याचिका दायर कर, गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें “मोदी सरनेम” वाली उनकी टिप्पणी के जुड़े क्रिमिनल मानहानि केस में, उनकी सजा पर “स्ट्रे” देने से इन्कार कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि इस केस में राहुल को दो गई सजा के फलस्वरूप, उन्हें इस

- मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर राहुल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

साल के शुरू में डिस्कवालिफाई कर दिया गया था। आपको याद दिला दें कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार नगर में आयोजित एक चुनावी रैली में “सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? टिप्पणी कर दी थी। इस टिप्पणी को लेकर दायर किये गये क्रिमिनल मानहानि केस में, गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दो वर्ष की जेल की सजा दी थी। इस अदालत के फैसले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष की बैंगलोर बैठक में क्षेत्रीय संयोजक नियुक्त होंगे

नीतीश कुमार को हिन्दी भाषी यू.पी. व बिहार का संयोजक बनाया जायेगा

- ममता बनर्जी को पूर्वी राज्यों का संयोजक, तथा दिल्ली के मु.मंत्री को दिल्ली, पंजाब व हरियाणा का संयोजक नियुक्त किया जा सकता है।
- यह संयोजकों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया बिना बहस व मतभेदों के पूरी होने की संभावना है, क्योंकि सभी दलों को इन नियुक्तियों में अपना भला दिख रहा है।
- कांग्रेस को इस प्रक्रिया में यह लाभ नजर आ रहा है कि, 188 संसदीय सीटों पर, उसका सीधा मुकाबला भाजपा से होगा। गत चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को इन सीटों पर भारी शिकस्त दी थी, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट, विपक्ष के वोट का भारी विभाजन हुआ था, विपक्ष की पार्टियों में।
- कांग्रेस इस बात पर भी दबाव बना रही थी कि, इस स्कीम की शुरुआत आगामी विधानसभा चुनावों से लागू कर देनी चाहिए। क्योंकि, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी ही है।

प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा होने की कोई सम्भावना नहीं है वहीं ऐसी सम्भावना है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पटना में विपक्षी दलों की पहली मीटिंग आयोजित की थी, को बिहार

और उत्तर प्रदेश जैसे हिन्दी भाषी राज्यों के क्षेत्रीय समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका दी जावे। जहाँ कुर्मी समुदाय, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जाति है, करीब 12 राज्यों में फैला हुआ है,

वहीं विपक्षी खेमा ऐसी उम्मीद सँजोये हुये है कि एक एकस्ट्रीमली बैकवर्ड कास्ट (ई बी सी) के प्रमुख नेता तथा एक दक्ष प्रशासक के रूप बडी सावधानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चुनाव पंचायत का था, पर, लक्ष्य नैशनल पॉलिटिक्स ही थी?’

बंगाल की 42 संसदीय सीटों में से तृणमूल के पास 35 हैं, पर, ममता इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं, और किसी भी कीमत पर बढ़ोतरी चाहती हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जुलाई। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता तथा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी आगामी भूमिका पर अपनी पकड़ बनाये रखने के लिये बहुत ही दुष्टतापूर्ण खेल खेला है।

पंचायत तथा ग्रामीण चुनाव को छोटे स्तर की सत्ता के खेल नहीं थे। ये चुनाव भविष्य की राजनैतिक लड़ाइयों के प्रवेश द्वार होते हैं। ग्रामीण चुनावों की इस जीत के फलस्वरूप, विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जायेगी, जहाँ के वोट उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे। वे जानती हैं कि पंचायतों के माध्यम से दिये जाने वाले आधारस न तथा दी जाने वाली चीजें वोटों को उनके पक्ष में बनाये रखने में उनकी मदद करेंगी। उनका मुख्य उद्देश्य 2024 के चुनावों में अधिकतम लोकसभा सीटों पर कब्जा करना है। संसदीय चुनावों में उनकी निर्णायक जीत, 42 में से 35 से अधिक सीटें जीतने पर से राष्ट्रीय

- वे मानती हैं कि, यह बढ़ोतरी होने पर ही नैशनल पॉलिटिक्स में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिल सकता है।
- अतः, पंचायत के चुनाव में पचास हत्याएं व हिंसा एक जायज़ कीमत है, जो, बंगाल दे सकता है, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए।
- यह ही नहीं, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद भी, कांग्रेस व विपक्ष के अन्य विजयी उम्मीदवारों पर, धन व बल से दबाव पूरा बनाया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिये।

राजनीति में उनकी बात सुनी जायेगी। 2024 की चुनावी जीत से राष्ट्रीय सत्ता हथियाने के मामले में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो जायेगी। वस्तुतः वे एक “लुजंग विकेट” पर खेल रही हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी है तथा एक क्षेत्रीय दल बनकर रह गई है। वे ऐसे आलोचनापूर्ण बयानों से पहले ही आहत हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, जैसी उनकी पार्टी है, किसी राष्ट्रीय गठबंधन के नेतृत्व का दावा नहीं कर

सकती। इस मामले में, कांग्रेस पार्टी उनकी दुश्मन नम्बर एक है तथा वे कांग्रेस पार्टी की जड़ें काटती आ रही हैं। अब, चूँकि कर्नाटक में कांग्रेस जीत चुकी है तो ममता बनर्जी और ज्यादा पीछे पहुँच गई है। राज्य कांग्रेस ममता बनर्जी को राष्ट्रीय गठबंधन में कोई भी जगह देने का विरोध कर रही है। लेकिन वे अपने दावे पर जोर देती आ रही हैं। उनकी दृष्टि में, राष्ट्रीय राजनीति की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गूगल का अनुमान है, देश में 75 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता (एक्टिव यूज़र्स) हैं इन्टरनेट के

इनमें से आधे से ज्यादा लोगों में ऑनलाइन न्यूज व्यूअरशिप, ज्यादा लोकप्रिय है, बनिस्पत परम्परागत टी.वी. चैनल के

- आगामी चुनावों में “नैट सैवी” युवा, वोट डालने का अधिकार पा लेंगे। अतः इस वर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिये, राजनीतिक पार्टियां “सोशल इन्फ्लुएंसर्स” को एम्प्लॉय कर रही हैं।
- सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी इस सहयोगी “पार्टनशिप” से खुश हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञों के जीवन व काम-काज की जानकारी उनके दर्शकों को रुचिकर लगती है, तथा सोशल इन्फ्लुएंसर्स के “हिट्स” बढ़ते हैं।
- पर, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग भी खतरे से खाली नहीं है। सोशल इन्फ्लुएंसर्स व उनके “कन्टेंट प्रोड्यूसर्स” वाकई में पत्रकार नहीं हैं। उन्हें अपनी “खबर” या “कन्टेंट” की सच्चाई को पहचानने की न तो ट्रेनिंग है, और न ही अनुभव। और उनके लिये नैतिकता या विश्वसनीयता का कोई खास आयाम नहीं है। उनको मतलब हिट्स बढ़ाने व पैसा गिनने से है। अतः क्या, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को बेलगाम “न्यूज़” कार्यक्रम चलाने व प्रोड्यूस करने की पूरी छूट होनी चाहिए?

ऑनलाइन देखते हैं और 45 प्रतिशत का तो यह भी कहना है कि ऑनलाइन खबरें देखा ज्यादा लोकप्रिय है बजाय

परंपरागत टी.वी. चैनलों के। इस समय नैट का उपयोग करने वाले युवाओं में से कई अगले वर्ष वोट

डालेंगे। ये मतदाता टी.वी. की खबरों से नहीं जुड़े रहते और न ही सुबह के अखबार की परवाह करते हैं।

युवाओं के इस वर्ग को राजनैतिक पार्टियों ऑनलाइन माध्यमों से लुभाना चाहती है। सामाजिक प्रभाव डालने

- राजस्थान के इस मामले में बाल अपराधी पर पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत बलात्कार व अपहरण का मामला दर्ज था और वह वयस्कों की तरह 489 दिनों से जेल में था।

द्वारा दायर अपहरण एवं बलात्कार के केस में जमानत दे दी गई है। इस मामले में चार्जशीट 85 दिन में दी गई थी। इस लड़के को 16 वर्ष की उम्र में इस लड़की से प्रेम हो गया था। उस समय दोनों ही भाग गये थे तथा उनका कहना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)